राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–2153/2014/बीकानेर

राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक–II बीकानेर ...प्रार्थी

बनाम

1. श्री मोहनराम पुत्र श्री ज्ञानाराम जाट निवासी अमरसिंहपुरा बीकानेर
2. श्री हजारी राम पुत्र श्री ज्ञानाराम जाट निवासी अमरसिंहपुरा बीकानेर
3. श्री रामेश्वर लाल पुत्र श्री ज्ञानाराम जाट निवासी अमरसिंहपुरा बीकानेर

...अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 13.12.2016

निर्णय

1. यह निगरानी राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक–II, बीकानेर द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक), बीकानेर (जिसे आगे **'कलक्टर मुद्रांक'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 04.06.2014 प्रकरण संख्या 16/14 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसमें कलक्टर (मुद्रांक) बीकानेर ने उप पंजीयक द्वितीय बीकानेर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को खारिज किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि महालेखाकार ऑडिट दल के द्वारा उपपंजीयक–II बीकानेर की ऑडिट के दौरान दस्तावेज सं. 5774 दिनांक 03.08.2011 को कमी मालियत माना है। इस आधार पर अप्रार्थी को कमी राशि रू. 16,283/– जमा कराने हेतु धारा 54 का नोटिस दिये जाने के उपरांत नियत समय में राशि जमा नहीं कराये जाने पर कमी राशि रू. 16,283/– मय शास्ति वसूली हेतु उपपंजीयक ने रेफरेंस पेश किया। रेफरेंस ऑडिट आक्षेप के इस बिंदु पर आधारित था कि राज. मुद्रांक अधिनियम 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 42 के अनुसार पैतृक संपति के विभाजन पर एक बड़े हिस्से को छोडकर शेष हिस्सों की बाजार मालियत पर कन्वेंस की दर से मुद्रांक कर देय होना चाहिये तथा प्रकरण में राज्य सरकार के वित विभाग की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 संख्या एफ4(14)एफडी/डिवी/98–52 के प्रावधान इस पर लागू नहीं होते तथा बटवाराकर्ताओं की संपति पैतृक संपत्ति की श्रेणी में नहीं आती। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय द्वारा अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 को प्रभावशील मानते हुये रेफरेंस खारिज किया है जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी प्रस्तुत होने पर रेस्पोन्डेंट को तलब किया गया। प्रकरण में अभी तलबी प्रक्रियाधीन है परन्तु पत्रावली में विचाराधीन कानूनी बिन्दु अन्य निगरानी संख्या

लगातार.....2

2151/2014/बीकानेर राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक द्वितीय बीकानेर बनाम जुगल राजपुरोहित व अन्य के समान है। दोनों पत्रावलियों में कानूनी बिन्दु यह है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 संख्या एफ4(14)एफडी/डिवी/98–52 राजस्थान मुद्रांक कर अधिनियम 1998 लागू होने के पश्चात के दस्तावेजो पर लागू है या नही तथा पिता से प्राप्त संपंत्ति पैतृक मानी जाये या नही। इस प्रकार दोनों पत्रावलियों में कानूनी बिन्दु समान होने के कारण इस प्रकरण का निर्णय भी इसी स्तर पर किया जाना उचित होने के कारण बहस राजकीय अभिभाषक की सुनी गई।

4. विभागीय पैरोकार राज ने निवेदन किया कि महालेखाकार ऑडिट दल ने जांच के दौरान इस दस्तावेज सं. 5774 दिनांक 03.08.2011 को कमी मालियत का माना है। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 के आर्टिकल–42 के अनुसार विभाजन पत्र के दस्तावेज में संपति के एक बड़े हिस्से को छोड़ते हुए शेष हिस्सों को मालियत पर कन्वेंस की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य है। प्रश्नगत दस्तावेज के सबसे बड़े हिस्से को छोडकर शेष हिस्सों की मालियत पर कन्वेंस की दर से मुदांक कर प्रभार्य है। प्रश्नगत दस्तावेज में संपत्ति के एक बड़े हिस्सों को छोड़ते हुए शेष संपत्ति की कीमत 3,70,422/– रू. होती है। इस आधार पर अतंर राशि 16,283/– रूपये मय शास्ति वसूली के आदेश दिये जाने चाहिये। इन्होने यह भी कथन किया कि प्रकरण में जिस संपति का विभाजन पत्र निष्पादित किया गया था वो सम्पति पैतृक नहीं होकर श्री ज्ञानाराम की स्वयं अर्जित आय से क्रय की गई सम्पति थी इस कारण वो पैतृक सम्पति नहीं मानी जा सकती है व जो विभाजन पत्र निष्पादित किया गया है उस पर उपरोक्त वर्णित अधिसूचना लागू नहीं होने से पूर्ण मुद्रांक कर अदा करने की जवाबदेही बनती है। उपरोक्त निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत, विधिविरुद्व है जो निरस्त करने योग्य है।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विभागीय पैरोकार की बहस को सुना गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

6. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, प्रार्थना पत्र में अंकित कारण कि प्रशासनिक प्रकिया में समय लगा है संतोषजनक होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

7. अधीनस्थ न्यायालय में रेफरेन्स का मुख्य आधार यह था कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के आर्टिकल–42 के अनुसार विभाजन पत्र के दस्तावेज में संपति के एक बड़े हिस्से को छोड़ते हुये शेष हिस्से की मालियत पर कन्वेंस की दर से मुद्रांक कर देय होना चाहिए। अप्रार्थी ने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 संख्या एफ4(14)एफडी/डिवी/98–52 के अनुसार पैतृक संपति के बंटवारा नामा पर एक बडे हिस्से को छोडकर शेष हिस्सों की मालियत पर 1 प्रतिशत अधिकतम रू. 10,000/– मुद्रांक कर लिये जाने की रियायत होने की बात कही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने

लगातार.....3

निर्णय में रेफरेन्स इस आधार पर खारिज किया है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 संख्या एफ4(14)एफडी/डिवी/98–52 के अनुसार पैतृक संपति के बंटवारानामा पर एक बडे हिस्से को छोडकर शेष हिस्सों की मालियत पर 1 प्रतिशत अधिकतम रू. 10,000/– मुद्रांक कर लिये जाने का प्रावधान है एवं विभागीय आदेश दिनांक 01.12.2010 के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार प्रभावी हैं तथा इनसे दी गई रियायत आज भी देय है।

प्रकरण में इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि उपरोक्त अधिसूचना जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 जो कि वर्तमान राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू था, के अन्तर्गत जारी अधिसूचना वर्तमान अधिनियम के असंगत है या नही तथा इसका लाभ इस दस्तावेज पंजीयन दिनांक 03.08.2011 पर देय है या नही। इस संबंध में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 91 (2) का अवलोकन किया जाता है जो निम्न प्रकार है :–

91. Repeal and Savings —

(2) Any appointment, notification, notice, order, rule or form made or issued under the enactment hereby repealed shall be deemed to have been made or issued under the provisions of this Act, in so far as such appointment, notification, notice, order, rule or form is not inconsistent with the provisions of this Act and shall continue in force, unless and until it is superseded by an appointment, notification, notice, order, rule or form made or issued under this Act. इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि पुराने अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई कोई अधिसूचना नये अधिनियम में तब तक लागू होगी जब तक कि यह अधिसूचना अतिष्टित (Superseded) न कर दी जावें। अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 को प्रत्याहारित करने के संबंध में राज्य पक्ष की ओर से कोई परिपत्र या अधिसूचना या विधिक प्रावधान प्रस्तुत नही किया है। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 9 (1) निम्न प्रकार है :–

9 - Power to reduce, remit or compound duties

(1) The Government, if satisfied that it is necessary to do so in the public interest, may by rule or order published in Official Gazette, reduce or remit, whether prospectively or retrospectively, in the whole or any part of the territories under its administration, the duties with which any instruments or any particular class of instruments, or any of the instruments belonging to such class, or any instruments when executed by or in favour of any particular class of persons, or by or in favour of any member of such class are chargeable. इस प्रावधान के अन्तर्गत राज्य

लगातार.....4

सरकार को जनहित में शुल्क को कम करने की शक्तियाँ प्रदत्त है। अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 9 के अन्तर्गत जारी की गई है जिसमें भी राज्य सरकार को शुल्क कम करने की शक्तियाँ थी। इस प्रकार जिन शक्तियों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 9 के अन्तर्गत शुल्क में रियायत की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 जारी की गई है, वही शक्तियाँ राज्य सरकार को राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रदत्त है तथा यह अधिसूचना नये अधिनियम के अन्तर्गत असंगत नही मानी जा सकती।

इस संबंध में मुद्रांक विभाग द्वारा ली गई विधिक स्थिति हेतु महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर का परिपत्र संख्या 24/2015 क्रमांक : एफ 7(39)जन/मार्गदर्शिका/2015/पार्ट/4671 दिनांक 17.06.2015 अवलोकनीय है जो निम्नुसार है :– राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत दी गई मुद्रांक शुल्क की रियायतें वर्तमान में प्रभावी होने के संबंध में :– "राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक प.2(50)वित/कर/10 दिनांक 01.12.2010 द्वारा विधि विभाग की राय के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि राज. स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 91(2) के अनुसार राजस्थान स्टाम्प लॉ (अडपटेशन) एक्ट, 1952 (भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899) के प्रावधानों के अधीन जारी अधिसूचनायें नये अधिनियम में भी जारी की गई समझी जावेगी, जब तक की वे वर्तमान अधिनियम, 1998 के प्रावधानों से असंगत न हों। पूर्व अधिनियम में स्टाम्प शुल्क को कम करने की शक्तियां राज्य सरकार को थी तथा नये अधिनियम की धारा 7 में भी ये शक्तियां राज्य सरकार को प्राप्त है। राज्य सरकार के उपरोक्त मार्गदर्शन से यह स्पष्ट है कि पूर्व अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क मे रियायत के संबंध में जारी समस्त अधिसूचनाएँ वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी प्रभावी हैं।"

विभाग स्वयं द्वारा ली गयी उपरोक्त विधिक धारणा से भी स्पष्ट है कि मुद्रांक शुल्क मे रियायत के संबंध में जारी समस्त अधिसूचनाएँ वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी प्रभावी है। इस प्रकार इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 जो कि वर्तमान राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू था, के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का लाभ इस दस्तावेज पंजीयन दिनांक 03.08.2011 पर देय है।

8. निगरानी का अन्य आधार यह है कि जिस संपत्ति का विभाजन पत्र निष्पादित किया गया था वह संपत्ति पैतृक नही होकर उनके पिता की स्वयं की अर्जित आय से क्रय की गई संपत्ति थी जिससे पैतृक संपत्ति नही मानी जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई विवेचना नही की है हाँलाकि ऑडिट आक्षेप इस बिन्दु पर भी था। अतः इस न्यायालय स्तर पर इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि विचाराधीन दस्तावेज से संबंधित संपत्ति पैतृक है या नही।

लगातार.....5

पैतृक संपत्ति के संबंध में The Advanced Law Lexicon (Law Dictionary compiled and edited by P. Ramanatha Aiyar Published by Wadhwa & Company Nagpur, India 3rd Edition Reprint 2007) में निम्न प्रकार उल्लेख किया गया है :– Ancestral Property : If property came to a son as gift from his father, it can not be regarded his ancestral property. **Ancestral properties in the ordinary sense mean property of the father which is inherited. Ancestral property does not necessarily mean property which has been a long time in a family, it rather means, property derived from the proprietor's father.** इस डिक्शनरी में पैतृक संपत्ति के संबंध में की गई व्याख्या से यह स्पष्ट है कि यदि कोई संपत्ति पिता या उच्चतर श्रेणी के पूर्वजों से कोई संपत्ति प्राप्त होती है तो वह पैतृक संपत्ति की श्रेणी में है।

बंटवारनामा दस्तावेज पंजीयन दिनांक 03.08.2011 मे बंटवारनामा अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित हुआ है। दस्तावेज में श्री ज्ञानाराम का स्वर्गवास होना अंकित है तथा दस्तावेज में यह उल्लेख है कि दस्तावेज से संबंधित संपत्ति श्री ज्ञानाराम को पट्टा दिनांक 16.04.1966 द्वारा ग्राम पंचायत से आंवटित होकर प्राप्त हुई थी। इस प्रकार संपत्ति श्री ज्ञानाराम की स्व–अर्जित संपत्ति है परन्तु अप्रार्थीगण को यह संपत्ति उनके पिता श्री ज्ञानाराम की मृत्यु के पश्चात विरासतन प्राप्त हुई है जो अप्रार्थीगण की पैतृक संपत्ति मानी जायेगी। इस प्रकार निगरानी का यह आधार स्वीकार योग्य नही है कि बंटवारनामा से संबंधित संपत्ति पैतृक नही है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर बंटवारनामा से संबंधित संपत्ति अप्रार्थीगण को उनके पिता की मृत्यु के बाद पिता की संपत्ति विरासतन प्राप्त होने के कारण पैतृक एवं ऐसे दस्तावेज पर अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 लागू होने के कारण निगरानी सारहीन है एवं खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

13/1/16

(नत्थूराम)

सदस्य